किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र नं. 74 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6/9/2017 वकील उभयपक्ष हाजिर। एस. डी. ओ. साहब दौरे पर/छुट्टी/अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 21/12/2017 को पेश हो। SDO सा. की आज्ञा से	
	21/12/18 वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दौरा / अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते .... दिनांक .... को पेश हो। [illegible]	
5.4.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.7.2018 को पेश हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)	
15.5.2018	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुरपुर में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष हाजिर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मौजा सुरपुरी प.स. सुरपुर की आराजी 396, 398 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हे. जिसमें सार्वजनिक	

(अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के ... में जा...
	व अप्रार्थी संख्या 1,2 संयुक्त खातेदार है जिनमे बिना विधिवत बटवारे के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निर्माण कार्य कर रहे है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनने से यह निर्णय किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक बिना विधिवत विभाजन के निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश अजलासेआम मे सुनाया गया (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner